

**प्रपत्र-ई**  
**नामांकन प्रपत्र**  
(दो प्रतियों में भरा जाए)

में, \_\_\_\_\_सदस्य, राज्य सभा एतद् द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों), जो मेरे परिवार का सदस्य है/के सदस्य हैं, को नामित करता हूँ, और उसे/उनको वेतन/अतिरिक्त सुविधा भत्ता/यात्रा/दैनिक भत्ता/चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे तथा जो भी अन्य कोई भत्ता एवं दावे राज्य सभा सचिवालय की ओर से मुझे देय हो जाते हैं तथा मेरी मृत्यु की स्थिति में अदत्त रहते हैं, को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता/करती हूँ:-

मूल नामिती			वैकल्पिक नामिती		
नामिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु	नामिती का नाम और पता	सदस्य से संबंध	आयु

दिनांक:

स्थान:

हस्ताक्षर के साक्षी

1.....

नाम.....

पता.....

2.....

नाम.....

पता.....

सदस्य के हस्ताक्षर

नाम.....

नोट: सदस्य को यह सलाह दी जाती है कि यह उसके /उसकी नामिती के हित में होगा कि नामांकन और संबंधित सूचनाओं तथा पावतियों की प्रतियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसकी मृत्यु की स्थिति में वे लाभार्थियों को प्राप्त हो सकें।